रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 1987/माघ 17, 1908
No. 55] NEW DELHI, FRIDAY, FEB. 6, 1987/MAGHA 17, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1987

आदेश

का. आ. 66(अ).—केन्द्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

के आदेश सं. का. आ. 357 (अ). तारीख 13 जून, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे सारणी मे विद्यमान प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

सारणी

सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक का आकार	अग्रणी कीमत
1	2	3	4
"विटामिन बी$_1$ +बी$_6$+बी$_{12}$ इंजेक्शन	विटामिन बी$_1$—100 मि. ग्राम+विटामिन बी$_6$—100 मि. ग्राम+विटामिन बी$_{12}$ —100" माइक्रो ग्राम प्रति एम्पू.	50×3 मि. लिटर एम्पू.	117.29"

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 (ii), तारीख 13 जून, 1986 पृष्ठ 1—6 पर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 357(अ), तारीख 13 जून, 1986 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

[सं. 9(41)/86-डी-II]

आर. एस. माथुर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Deptt. of Chemicals & Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, 6th Feb., 1987

ORDER

S.O. 66(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central

Government hereby makes the following further amendments in the Order of Government of India in the Ministry of Industry (Deptt. of Chemicals & Petro-Chemicals) No. S.O. 357(E), dated the 13th June, 1986, namely: –

In the Table below the said Order, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely—

TABLE

Name of the formulation	Strength	Pack size	Leader Price
1	2	3	4
"Vitamin B_1 + B_6 + B_{12} Injection	Vitamin B_1—100mg + Vitamin B_6—100mg + Vitamin B_{12}—100 mcg. per Amp.	50 × 3 ml Amp.	117 29"

Note:—The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated 13the June, 1986 at pages 1—3 vide Government notification, Ministry of Industry (Deptt. of Chemicals & Petro-Chemicals) No. S.O. 357(E) dated 13th June, 1986.

[No. 9(41)/86-D.II]

R. S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner (Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987